संख्या–6000 / 9–आ–3–2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 3 लखनऊः दिनाँक–09 जुलाई, 2001

विषय : भवन मानचित्र तथा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के पर्यवेक्षण / निरीक्षण शुल्क का निर्धारण

महोदय,

निम्नांकित शासनादेशों द्वारा भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत करते समय पर्यवेक्षण शुल्क वसूलना निर्धारित किया गया था :–

(1) शासनादेश संख्या–196 / 9–आ–3–97वि0 / 98 दिनांक 22.01.1998
(2) शासनादेश संख्या–612 / 9–आ–3–98–7वि0 / 98 दिनांक 10.03.1998
(3) शासनादेश संख्या–3661 / 9–आ–3–98वि0 / 98 दिनांक 25.10.2000

2– कतिपय श्रोतों से यह जिज्ञासा हुई है कि विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद द्वारा किस प्रकार का पर्यवेक्षण अपेक्षित है जबकि भवन निर्माण / योजना का विकास किसी अन्य के द्वारा किया जाना है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र स्वीकृति के साथ ही प्राधिकरण / परिषद से अपेक्षित है कि इस बात को भी सुनिश्चित करें कि निर्माण स्वीकृति अनुसार ही हों तथा अवैध / अनाधिकृत निर्माण रोके जायें। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण / परिषद से अपेक्षित होता है कि वे प्रत्येक निर्माण के संबंध में समय–समय पर इस बात का परीक्षण करते रहे कि निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुरूप ही हो रहे हैं अथवा नहीं। स्वीकृति से भिन्न निर्माण की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही अपेक्षित होती है। पर्यवेक्षण शुल्क इन्हीं क्रियाओं के वित्त पोषण हेतु लिया जाता है परन्तु यह अपेक्षा नहीं है कि निर्माण कार्य को प्राधिकरण / परिषद अपनी देखरेख में बनवाये और न ही इस शुल्क की देयता के आधार पर प्राधिकरण / परिषद का कोई दायित्व निर्माण की गुणवत्ता इत्यादि के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है।

3– उपरोक्त संशय की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से पर्यवेक्षण शुल्क का नाम परिवर्तित करते हुये निरीक्षण शुल्क की संज्ञा दी जाती है। भविष्य में पर्यवेक्षण शुल्क के स्थान पर निरीक्षण शुल्क ही वसूला जायेगा। पर्यवेक्षण शुल्क सम्बन्धी सभी शासनादेश तत्सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या – 6000(1)/9–आ–3–2001 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4. आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव